Gmail

Mahesh Pratap Singh <yogimpsingh@gmail.com>

05-02-2026

Mahesh Pratap Singh <yogimpsingh@gmail.com> 9 February 2026 at 16:16
To: SHAKUNTALA GAUTAM <hearingcourts9.upic@up.gov.in>
Cc: ldartionline <ldartionline@gmail.com>

BEFORE THE STATE INFORMATION COMMISSION, UTTAR PRADESH
At Lucknow (Room No. S-09)

In the matter of: Appellant: Yogi M.P. Singh **Respondent:** Public Information Officer, Lucknow Development Authority

---

SUBJECT: REJOINDER REGARDING NON-COMPLIANCE IN APPEAL NO: S09/A/1768/2025 (REG. NO. A-20250702295) FOR THE HEARING DATED 08/04/2026

Most Respectfully Showeth:

1. That the Appellant filed a Second Appeal on 26/07/2025 following an RTI application dated **28/04/2025** (Reg. No. **LKDPA/R/2025/60280**).
2. That the Hon’ble Commission has repeatedly ordered the PIO (Lucknow Development Authority) to provide clear, point-wise information, specifically on 24/09/2025 and 26/11/2025.
3. That despite the Commission's directive for the PIO to submit a compliance report and evidence of information delivery at least two days before the hearing , the PIO has **failed to provide any information** to the Appellant regarding the 10 points raised in the RTI.
4. That a recent communication from the LDA (Letter No. 562/50/2026 dated 20/01/2026) addressed to a third party confirms the existence of the "Inquiry Committee" for Plots SS-1914 to SS-1918 , yet the PIO is deliberately withholding the names and designations of these committee members from the Appellant.
5. That the registration numbers cited in the LDA's correspondence with the third party (**LKDPA/R/2022/60189**) differ from the Appellant's registration number (**LKDPA/R/2025/60280**), proving that the PIO is managing multiple requests on the same irregularity but refusing to disclose the specific administrative details requested by this Appellant.
6. That the PIO's claim of "pending inquiry" or "non-appearance of parties" is not a valid ground under Section 8 of the RTI Act to withhold the names of public officials serving on an inquiry committee.

PRAYER

In light of the hearing scheduled for **08/04/2026** [cite: 112---], it is humbly prayed that the Hon'ble Commission:

- **Direct the PIO** to immediately release the names, designations, and posting details of the committee members.

- **Impose a penalty** on the PIO under Section 20(1) of the RTI Act for the persistent delay from April 2025 to April 2026 [cite: 48, 112---].
- **Issue an order** for the inspection of the relevant files at the LDA office if the PIO continues to provide vague responses.

Date: 08/04/2026

Place: Mirzapur/Lucknow

Respectfully Submitted,

Yogi M.P. Singh Appellant

[Quoted text hidden]

Order2025_12_69410de4d0052_merge.pdf
655K

<u>समक्ष : शकुन्तला गौतम, राज्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0 (सुनवाई कक्ष संख्या–एस 09)</u>

अपील संख्या : एस–09/ए/1768/2025

श्री योगी एम.पी. सिंह बनाम ज0सू0अधि0, कार्या0 लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ.

<u>आदेश</u>

कम्प्लेन्ट व अपील ट्रैकिंग सिस्टम (CATS) के माध्यम से पंजीकृत की गयी अपील प्रस्तुत हुई। गत सुनवाई तिथि पर उभयपक्ष अनुपस्थित रहे। आज की सुनवाई हेतु उभयपक्ष को ईमेल दिनांक 04.11.2025 के माध्यम से नोटिस प्रेषित की गयीं तथा प्रकरण की ऑनलाइन सुनवाई हेतु दिनांक 27.10.2025 को समय 12:55 पी.एम. बजे लिंक प्रेषित किया गया। पुकार करायी गयी। उभयपक्ष पुनः अनुपस्थित हैं।

अतः विपक्षी जनसूचना अधिकारी, कार्या0 लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को अपीलार्थी के सूचना आवेदन–पत्र धारा 6(1) दिनांक 28.04.2025 की प्रति संलग्न कर अवसर प्रदान करते हुये इस आशय की नोटिस निर्गत की जाये कि प्रस्तुत अपील में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एवं उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के नियमों व प्राविधानों के अनुसार अपीलार्थी के सूचना आवेदन–पत्र का निस्तारण करते हुए वांछित सुस्पष्ट बिन्दुवार सूचना अपीलार्थी को नियत तिथि से पूर्व उपलब्ध करायें एवं सूचना की प्रति, प्रेषण साक्ष्य मय लिखित अभिकथन सहित नियत सुनवाई तिथि पर आयोग के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करें।

अपीलार्थी को उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के नियम 9(1) के तहत मय अभिकथन अग्रिम नियत सुनवाई तिथि पर स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित की जाये।

पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 05.02.2026 को पेश हो।

26.11.2025

समक्ष : शकुन्तला गौतम, राज्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0 (सुनवाई कक्ष संख्या–एस 09)

अपील संख्या : एस–09/ए/1768/2025

श्री योगी एम.पी. सिंह बनाम ज0सू0अधि0, कार्या0 लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ.

आदेश

कम्प्लेन्ट व अपील ट्रैकिंग सिस्टम (CATS) के माध्यम से पंजीकृत की गयी अपील प्रस्तुत हुई। आज की सुनवाई हेतु उभयपक्ष को ईमेल दिनांक 18.09.2025 के माध्यम से नोटिस प्रेषित की गयीं तथा प्रकरण की ऑनलाइन सुनवाई हेतु दिनांक 11.09.2025 को समय 05:06:34 पी.एम. बजे लिंक प्रेषित किया गया। पुकार करायी गयी। उभयपक्ष अनुपस्थित हैं।

अतः विपक्षी जनसूचना अधिकारी, कार्या0 लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को अपीलार्थी के सूचना आवेदन–पत्र धारा 6(1) दिनांक 28.04.2025 की प्रति संलग्न कर इस आशय की नोटिस निर्गत की जाये कि प्रस्तुत अपील में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एवं उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के नियमों व प्राविधानों के अनुसार अपीलार्थी के सूचना आवेदन–पत्र का निस्तारण करते हुए वांछित सुस्पष्ट बिन्दुवार सूचना अपीलार्थी को नियत तिथि से पूर्व उपलब्ध करायें एवं सूचना की प्रति, प्रेषण साक्ष्य मय लिखित अभिकथन सहित नियत सुनवाई तिथि पर आयोग के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करें।

अपीलार्थी को प्रकरण में पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस प्रेषित की जाये।

पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 26.11.2025 को पेश हो।

24.09.2025

कार्यालय, लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक, **विशेष कार्याधिकारी,** लखनऊ विकास प्राधिकरण, नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। पत्रांकः 562/SO(P)/OSD/2026 दिनांकः 20-1-2026	**सेवा में,** श्री दिनेश प्रताप सिंह, निवासी–मोहल्ला सुरेकापुरम, जबलपुर रोड, संगमोहल, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश–231001 नत्थी.................

विषयः–जनसूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जनसूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र सं0–LKDPA/R/2022/60189, दिनांक 05.06.2022 एवं पत्र सं0–LKDPA/R/2023/60495, दिनांक 17.12.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या–एस0एस0–1914, 1915, 1916, 1917 एवं 1918 के अनियमित आवंटन/निबंधन से सम्बन्धित है।

उक्त के सम्बन्ध में सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण में समिति गठित करते हुए निमयानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। समिति के निर्देशानुसार स्थलीय आख्या प्राप्त करते हुए सम्बन्धित भूखण्डों के आवंटियों एवं शिकायतकर्ता को अभिलेखों/साक्ष्यों सहित कार्यालय में उपस्थित होने हेतु कई बार पत्र प्रेषित किये गये तथा दूरभाष पर भी वार्ता की गयी है। दोनों पक्षों द्वारा वांछित मूल अभिलेखों/साक्ष्यों सहित कार्यालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, मात्र आवेदन पत्र प्रस्तुत है, जिस कारण प्रश्नगत प्रकरण के निस्तारण हेतु गठित समिति के निर्णय के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही नहीं हो पा रही है। इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों को गठित समिति के समक्ष मूल अभिलेखों सहित उपस्थित होने हेतु विभिन्न पत्रों के माध्यम से सूचना प्रेषित की जा चुकी है। गठित समिति के समक्ष दोनों पक्षों के द्वारा वांछित मूल अभिलेखों/साक्ष्यों सहित कार्यालय में उपलब्ध होने के पश्चात नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से पूर्व में भी आपको अवगत कराया जा चुका है।

कृपया उपरोक्त आख्या से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,

20/1/26

(रवि नन्दन सिंह)
विशेष कार्याधिकारी

प्रतिलिपि–

1– अनु सचिव–अधिष्ठान, सामान्य प्रशासन, ल0वि0प्रा0ल0 को उनके पत्रांक–190/सा0प्र0/2026, दिनांक 16.01.2026 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2– जनसूचना अधिकारी, (समन्वयक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रवि नन्दन सिंह)
विशेष कार्याधिकारी